न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 77/2017

विजय बहादूर सिंह एडवोकेट चैम्बर नं0114 जिला एंव सैशन न्यायालय टोंक राज0
——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली —प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 20.12.2017**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली को आवेदन पत्र दिनांक 22.08.2017 को प्रेषित कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

1—ग्राम देवली गांव मे स्थित खसरा नंबर 4925/1534 रकबा 2.9400 है0 को गैर मुमकीन आबादी मे कब दर्ज किया गया उस आदेश की नकल।

2—ग्राम पंचायत देवली गांव द्वारा इस खसरा नंबर 4925/1534 ग्राम देवली गांव को राजस्व रिकार्ड मे गैर मुमकीन आबादी मे दर्ज करने हेतु श्रीमान के यहां जो पत्रावली प्रस्तुत की गयी उक्त पत्रावली की सम्पूर्ण नकल।

3—देवली नगर पालिका पेरा—फेरी एरिया मे देवली गांव पंचायत मे स्थित समस्त गांवो को कब शामिल किया गया यदि इसका कोई आदेश श्रीमान के कार्यालय मे हो तो उस पत्रावली की सम्पूर्ण नकल।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली से अपील के संबंध मे जवाब हेतु पंत्राक 1748 दिनाक 07.11.2017,1837दिनाक 16.11.2017,1929 दिनांक 23.11. 2017,1987 दिनांक 30.11.2017,1996 दिनांक 07.12.2017 व अर्द्व शासकीय पत्र कमांक 2032 दिनाक 13.12.2017 द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी जवाब प्राप्त नही हुआ है।जबकि अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार देवली को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार देवली को निर्णय की प्रति प्रेषित कि जावे।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते